गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ0ग0)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

Phone 07752-260342,260381, Website www.ggu.ac.in Email-arfinanceggv@gmail.com

हाउस कीपिंग (साफ–सफाई)कार्य हेतु दर अनुबंध

निविदा सूचना

वर्ष 2016–17

क्रमांक 13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 बिलासपुर, दिनांक 11.04.2016

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि– 04.05.2016 समय अपरान्ह् 3.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि – 04.05.2016 समय अपरान्ह् 4.00 बजे

निविदा प्रपत्र मूल्य : रू. 500/– वापसी योग्य नहीं ।

अमानत राशि : रू. 1,00, 000/– वि0वि0 की शर्तों के अनुसार वापसी योग्य ।

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र. 13 /भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

विश्वविद्यालय के हाउस कीपिंग/साफ–सफाई कार्य हेतु मुहरबंद निविदा दो बोली पद्वति में आमंत्रित है।

विश्वविद्यालय लगभग 655 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है तथा परिसर में प्रशासनिक भवन, विभिन्न शैक्षणिक विभागों के भवन, पुस्तकालय, कैंटीन, आवासीय परिसर, कुलपति, कुलसचिव निवास, अतिथि गृह, छात्रावास आदि भवन स्थित हैं । विश्वविद्यालय के पूरे परिसर की साफ–सफाई का दिन प्रतिदिन कार्य कराया जाना है। विश्वविद्यालय के सफाई कार्यों हेतु निविदा जमा करने के पूर्व निविदाकर्ता, विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण/अवलोकन कर सकते हैं ताकि वे उचित ऑकलन के साथ निविदा जमा कर सके। **निविदायें दो बोली पद्वति में जमा किया जाना चाहिए।**

निविदा की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक निविदा प्रपत्र कार्यकारी दिवस में, पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक, भंडार विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन प्राप्ति हेतु शुल्क रू. 500/– का बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नाम पर जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेब पटल से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं किंतु शुल्क की राशि निविदा के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य है।
आवश्यक होने पर इस निविदा के तहत संशोधन/शुद्धि पत्र विश्वविद्यालय वेबपटल पर जारी किये जायेगें। अपूर्ण या सशर्त प्रस्तुत निविदायें या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने, स्थगित करने, कार्य की मात्रा /राशि घटाने/बढाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। निविदा हेतु प्रेषित बडे सील बंद लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक.......... दिनांक .... **'' हाऊस कीपिंग /साफ–सफाई कार्यों हेतु निविदा''** अंकित किया जाना अनिवार्य हैं।
बडे सील बंद लिफाफे के अंदर पृथक–पृथक सील बंद छोटे लिफाफों में **तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा** को रखा जाये तथा **संबंधित लिफाफों पर पृथक–पृथक तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा शब्द अंकित किये जाये**।

निविदायें प्राप्ति की **अंतिम तिथि 04.05.2016 अपराह्न 3.00 बजे तक है।** निविदायें **सहायक कुलसचिव, भंडार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर छ0ग0– 495009** के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से प्रेषित करें। निविदाओं की तकनीकी बोलीयां इसी दिनांक को अपराह्न 04 बजे खोली जायेंगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर सहा–कुलसचिव (भंडार)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क. 13 / भंडार / हाउस कीपिंग /2016 **दिनांक 11.04.2016**

आवश्यक सूचनायें एवं निर्देश
हाऊस कीपिंग/साफ–सफाई हेतु

निविदा की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक निविदा प्रपत्र कार्यकारी दिवस में, पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक, भंडार विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र मूल्य रू 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का शुल्क विश्वविद्यालय चालान या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ''कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साइट www.ggu.ac.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है, परंतु ऐसे डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को निविदा जमा करते समय, कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम से प्रपत्र मूल्य की राशि रू. 500.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।) निविदा के साथ अमानत राशि रू. 1,00,000/– (एक लाख) कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ0ग0) के नाम पर देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।

निविदा की शर्तें :–

निविदाकर्ता निम्नानुसार पात्रता के मापदंड पूर्ण करते हो (प्रमाण हेतु अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें) :–

1. A. निविदाकर्ता को किसी शासकीय/अर्धशासकीय अथवा पंजीकृत राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपनी/सार्वजनिक(Public) लिमिटेड कंपनी में साफ–सफाई कर्मी प्रदाय कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो तथा प्रत्येक कार्य की निविदा राशि न्यूनतम 15 लाख की हो।

   B. निविदकर्ता का वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष रहा हो।

   C. निविदाकर्ता कार्य आदेश जारी किये जाने के 15 दिन के अंदर श्रम अधिनियम में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी से लेबर लाइसेंस प्रस्तुत करने एवं संबंधित श्रम अधिनियम में उल्लेखित समस्त सांविधिक शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन करने हेतु सक्षम हो।

   D. निविदाकर्ता सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत हो तथा पिछले वित्तीय वर्ष तक सेवा कर जमा किया हो।

   E. निविदाकर्ता इस स्थिति में हो कि वि0वि0 के कार्य आदेश को पूरा करने हेतु पर्याप्त संख्या में साफ–सफाई कर्मी उपलब्ध करा सके।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर सहा–कुलसचिव (भंडार)

2. निविदा प्रपत्र एक बडे लिफाफे में सीलबंद कर रखें एवं बडे लिफाफे के अंदर पृथक–पृथक लिफाफे में अर्थात् **प्रथम लिफाफे में तकनीकी बोली (Technical Bid – परिशिष्ट – I एवं II) समस्त दस्तावेजों सहित** तथा **द्वितीय लिफाफे में वित्तीय बोली (Financial Bid परिशिष्ट – III, IV, V) से संबंधित दस्तावेज** तैयार कर, **इन लिफाफों के ऊपर पृथक–पृथक तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अंकित करते हुये, दोनों लिफाफों को, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर, रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा ''सहायक कुल सचिव, भंडार विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर– 495009(छ0ग0)''** को प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार प्रेषित की गयी निविदा ही मान्य की जायेगी। **लिफाफों के ऊपर निविदा क्रमॉक एवं दिनॉक तथा हाऊस कीपिंग हेतु निविदा अंकित करना अनिवार्य होगा। फर्म का निर्धारण परिशिष्ट–III में अंकित दर के आधार पर होगा। फर्म का निर्धारण परिशिष्ट–IV एवं V में अंकित दर के आधार पर नहीं होगा। फर्म के निर्धारण के पश्चात् परिशिष्ट–IV एवं V के दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा।**

3. केवल उसी एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जायेगी जो कंडिका 01 में अंकित पात्रता के मापदण्ड पूरा करेगा तथा जिसने पात्रता से संबंधित सारे प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित छायाप्रतियां परिशिष्ट – I के अनुसार संलग्न की हो।

4. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदायें निरस्त मानी जायेंगी।

5. निविदा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 04.05.2016 **अपराह्न 3.00 बजे** तक है । इस तिथि को **अपराह्न 3.00 बजे** तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कुरियर से प्राप्त निविदायें इसी तिथि को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन सभा कक्ष में अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेंगी। **निविदायें खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, लिखित प्राधिकार एवं पहचान पत्र होने पर, उपस्थित हो सकते हैं।**

6. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशिएशन कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित होगा। निगोशिएशन की तिथि विश्वविद्यालय की सुविधानुसार निर्धारित की जायेगी।

7. **वि**श्वविद्यालय को किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत न करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8. **ऐ**से निविदाकर्ता जो निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तों को पूर्ण रुप से स्वीकार करेगें, उन्हें निगोशिएशन की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

9. **ऐ**से निविदाएँ जो सशर्त प्रस्तुत की गई हैं, निरस्त की जा सकेंगी।

10. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा साफ–सफाई ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर   सहा–कुलसचिव (भंडार)

11. निविदा के साथ अमानत राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृत होने की दशा में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रुप में देय होगी।

12. सफल निविदाकार को, **परफार्मेंस बैंक गारंटी** के रूप में रू. 3,00,000/–(रू. तीन लाख) की राशि कुल सचिव गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगी।

13. ऐसे निविदाकर्ता, जिनकी निविदायें विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार लौटाई जा सकेंगी।

14. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरी गयी दरें समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये होनी चाहिये।

15. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे कि उन्हें भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व लगने वाले साफ–सफाई कर्मियों की अनुमानित संख्या का ज्ञान हो सके।

16. विश्वविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु ठेका एक ही अथवा विभिन्न एजेन्सियों को पृथक–पृथक आबंटित करें।

17. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा। डाक में अथवा अन्यथा होने वाले विलंब के लिये विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।

18. ऑटोमैटिक मशीनों के द्वारा सफाई कार्य करने के लिये दरें पृथक से परिशिष्ट – V में प्रस्तुत करें।

19. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि सफाई सामग्री विश्वविद्यालय प्रदान करें तथा निविदाकार फर्म को केवल श्रम शक्ति के लिए ही कार्यादेश जारी करे।

20. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर फर्म की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

21. विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार समान कार्यों हेतु एक से अधिक फर्मों के साथ अनुबंध कर सकता है अथवा एक से अधिक फर्मो को समूहबद्ध (इम्पैनल) कर सकता है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर — सहा–कुलसचिव (भंडार)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क. 13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

स्वच्छता ठेके की शर्तें :–

01. स्वच्छता ठेका प्रारंभ में एक वर्ष के लिए रहेगा किन्तु विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से 06–06 माह के लिये इन्हीं स्वीकृत दरों एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जाय। किसी भी स्थिति में यह अवधि अधिकतम तीन वर्षों तक ही होगी ।
02. स्वच्छता ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर तथा इसके सभी भवनों एवं कार्यालयीन संपत्ति की स्वच्छता व्यवस्था दिन प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से की जायेगी ।
03. स्वच्छता एजेन्सी स्वयं के व्यय से स्वच्छता कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी।
04. स्वच्छता एजेन्सी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में स्वच्छता कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर रखे जायेंगे, जो कि विश्वविद्यालय या उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किये जायेगें।
05. स्वच्छता एजेन्सी नियोजित कर्मियों के उपस्थिति पत्रक एवं देयक, श्रम अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित समस्त सांविधिक नियमों/शर्तों के अनुपालन करते हुए, वि.वि. प्रबंधन/ प्रतिनिधि के सत्यापन के पश्चात प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक प्रस्तुत करेगी।
06. यदि एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पारिश्रमिक दिये जाने की अथवा किन्ही कर्मचारियों को पारिश्रमिक न मिलने की शिकायत वि.वि. प्रबंधन को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को एजेन्सी की ओर से सीधा भुगतान कर दिया जायेगा एवं एजेन्सी से उक्त राशि वसूल की जायेगी।
07. दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर स्वच्छता ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु स्वच्छता एजेन्सी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि समुचित जांच के पश्चात स्वच्छता ठेका निरस्त कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
08. ठेके के दौरान स्वच्छता एजेन्सी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से स्वच्छता एजेन्सी के कार्य पर नहीं ले सकेगी।
09. एजेन्सी को स्वच्छता कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी स्वच्छता कर्मी के आचरण पर शंका पाये जाने पर अथवा प्रबंधन द्वारा इस आशय की सूचना दिये जाने पर एजेन्सी द्वारा तत्काल ऐसे कर्मी को अनिवार्यतः हटाना होगा।
10. स्वच्छता एजेन्सी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मियों को पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार भत्ते देगी जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक एवं भत्तों से कम नहीं होगें।
11. स्वच्छता एजेन्सी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे–श्रम संविदा अधिनियम, ई.पी.एफ. अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का स्वच्छता कर्मचारियों के लिये पालन करें।
12. यदि स्वच्छता एजेंसी द्वारा संबंधित लागू होने वाले कानूनों के उल्लंघन बाबत्, विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई नोटिस प्राप्त होता है या कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है तो स्वच्छता एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रबंधन को होगा।
13. स्वच्छता एजेन्सी का कोई भी कर्मी किसी भी प्रकार की यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
14. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये स्वच्छता एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा–कुलसचिव (भंडार)

15. स्वच्छता एजेन्सी प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार समय प्रबंधन एवं आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिये उत्तरदायी होगी।
16. स्वच्छता एजेन्सी को श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रम विभाग से लायसेंस प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।
17. यदि स्वच्छता एजेन्सी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वच्छता ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. विश्वविद्यालय प्रबंधन को अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा।
19. स्वच्छता एजेन्सी को अपने कर्मचारियों के लिए हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होगें एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेन्सी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। श्रम निरीक्षक अथवा आडिट टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
20. विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो वि.वि. प्रबंधन को स्वविवेक से स्वच्छता एजेन्सी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा।
21. स्वच्छता एजेन्सी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई. कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व एवं रिकार्ड एजेन्सी द्वारा स्वयं रखा जायेगा तथा प्रत्येक माह के देयक के भुगतान के समय सत्यापन हेतु ऐसा रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जायेगा
22. स्वच्छता कर्मियों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जायेगी। यह संख्या प्रबंधन द्वारा स्वविवेकानुसार समय–समय पर घटाई–बढ़ाई जा सकती है किन्तु पुरूष सफाई कर्मियों की संख्या कुल सफाई कर्मियों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

वर्तमान में स्वच्छता कर्मियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :–

स्वच्छता कर्मियों का स्तर	**संख्या**
स्वच्छता अधिकारी	01
स्वच्छता पर्यवेक्षक	05
हाउस कीपर/सफाई कर्मी /माली	कार्य की आवश्यकतानुसार लगाया जायेगा।

23. यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता एजेन्सी के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। कुलपति द्वारा दिया गया निर्णय स्वच्छता एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
24. समस्त विवाद बिलासपुर छ.ग. न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही निपटाये जायेंगे।
25. निविदाकर्ता द्वारा पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ एवं अच्छी गुणवत्ता की सफाई सामग्री का उपयोग करना होगा।
26. स्वच्छता एजेन्सी द्वारा स्वच्छता व्यवस्था लगातार शिफ्ट में "राउन्ड दी क्लॉक" की जायेगी तथा एजेन्सी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार रहेगी।
27. यदि एजेन्सी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना–घटित होती है जिसमें प्रबंधन पक्ष को कोई हानि हुई हो तो उक्त की वसूली प्रबंधन द्वारा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
28. प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेन्सी को पर्याप्त स्वच्छता कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।
29. एजेन्सी द्वारा नियोजित स्वच्छता कर्मियों को यूनिफार्म, फोटो पहचान पत्र इत्यादि आवश्यक रुप से प्रदान करना होगा जिसका भुगतान एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा ।
30. एजेन्सी को रिकार्ड एवं अन्य रजिस्टर इत्यादि अपने स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु प्रबंधन द्वारा कोई लिपिक/अतिरिक्त भुगतान नहीं कराया जायेगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर — सहा–कुलसचिव (भंडार)

31. एजेन्सी को कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एवं एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेन्सी को कांट्रेक्ट लेबर एक्ट, पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस एक्ट एवं लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा।
32. एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी एवं जागरुकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें। कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा एजेन्सी पर यथोचित दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
33. एजेन्सी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लघंन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाहीपूर्वक कार्य किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुये एजेन्सी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा एजेन्सी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
34. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सफाई सुपरवाइजर/कर्मचारियों आदि से संपर्क किये जाने की पर्याप्त व्यवस्था (सहायता केन्द्र सहित) हो ताकि वि0वि0 के संबंधित अनुभाग उनसे संपर्क कर सके।
35. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को उचित यूनीफार्म एवं फोटो पहचान पत्र प्रदाय करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों का सही ड्रेस कोड बरकरार रहे।
36. सुपरवाइजरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय निर्धारित संख्या में सफाई का स्टॉफ वि0वि0 में उपस्थित रहे।
37. निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों को बदलने के लिये बाध्य होगा जिनका कार्य/बर्ताव/स्वास्थ्य/आदतें उचित नहीं पाई जाती है।
38. आकस्मिक दुर्घटना/धन–जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों को समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।
39. वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट नाम सहित दिन प्रतिदिन के आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
40. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाये जायेगें। यह निविदाकार की जवाबदेही होगी।
41. निविदाकर्ता को सभी कर्मचारियों का संपूर्ण बायोडाटा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
42. किसी भी दिन एवं समय पर निर्धारित संख्या से 5 प्रतिशत से अधिक सफाई कर्मी अनुपस्थित नहीं रहेगें, अन्यथा हर अनुपस्थित व्यक्ति के नाम से रु. 100 प्रति दिन दण्ड राशि वेतन से कटौती की जायेगी। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मियों की तत्काल व्यवस्था निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।
43. निविदाकर्ता अपने स्वयं के साधनों/उपकरणों से सफाई कार्य संपादित करेंगे।
44. निविदाकर्ता को उसके द्वारा उपयोग किये जाने वाले समस्त स्वच्छता उपकरणों की सूची प्रदान करनी होगी।
45. साफ–सफाई उपरांत कचरे को नगर–निगम के कूड़ा घर तक पहुचाने का कार्य भी निविदाकर्ता को ही करना पड़ेगा।
46. सफाई एवं प्लंबिग उपकरण/सामग्री जैसे फिनाईल, झाड़ू इत्यादि की व्यवस्था भी एजेन्सी करेगी और इसके लिये कितनी राशि अतिरिक्त भुगतान करनी होगी इसका विवरण पृथक से दिया जाय।
47. निविदाकर्ता के पास कम से कम पॉच स्वच्छता निरीक्षक व्यवसायिक योग्यता सहित होने चाहिये जिनमें सें कम से कम 03 को सेनेटरी एवं प्लम्बिंग का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
48. किसी भी स्वच्छता कर्मी द्वारा उपरोक्त शर्तों की किसी भी कंडिका का उल्लघंन का दोषी पाया गया तो तत्काल विश्वविद्यालय परिसर में उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जो एजेन्सी पर बंधनकारी होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर | सहा–कुलसचिव (भंडार)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क. 13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

कार्य का विवरण

UP keeping work-

01. विश्वविद्यालय के सभी भवनों (शैक्षणिक विभागों/प्रयोगशालाओं/भंडार गृहों/बालक–बालिका छात्रावासों/ फारेस्ट्री हॉस्टल/नवीन आवासीय परिसर में स्थित बालक छात्रावास/अतिथि गृह/आडिटोरियम भवन/ प्रशासनिक भवन, आवासीय परिसरों आदि का झाडू/पोछा एवं शौचालयों की साफ–सफाई।
02. विश्वविद्यालय के फर्नीचर, फोन, खिड़की, दरवाजों, संकेत चिन्हों की साफ–सफाई।
03. आवश्यकतानुसार दीवारों से जाले निकालना।
04. आवश्यकता होने पर मृत पशुओं के शव को उचित तरीके से परिसर से हटाने की कार्यवाही।
05. विश्वविद्यालय भवनों के छतों की साफ–सफाई/परिसर की सड़कों एवं सड़कों के आस–पास की सफाई। यह सभी कार्य प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे के पूर्व पूर्ण कराया जाना होगा।

Toilet cleaning work-

01. सभी टायलेट/बाथरूम की सफाई करना।
02. बाथरूमों की नालियों, सीवर पाइप, सेप्टिक टैंक आदि की साफ–सफाई करना।
03. बाथरूमों की सफाई दिन में तीन बार प्रातः 8 बजे, दोपहर 12 बजे तथा 3 बजे कराया जाना होगा।

Garden maintainance work-

विश्वविद्यालय के भवनों, सड़कों/बाग–बगीचों एवं विश्वविद्यालय में स्थित अन्य प्रशासनिक–शैक्षणिक इकाईयों के परिसर एवं आवासीय परिसरों के आसपास उगी हुई घास/खरपतवार, जंगली झाड़ियों की साफ–सफाई, कटाई आदि कार्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार करना होगा।

Garbage disposal work-

साफ–सफाई के बाद कचरे को उचित स्थान पर इकट्ठा करके उसे नजदीकी नगर–पालिका कूड़ेदान तक पहुँचाना, साथ ही साथ आवश्कता होने पर मृत पशुओं को परिसर से बाहर सुरक्षित विधि से निष्पादित किया जाना होगा । इस हेतु ट्रैक्टर सफाई ठेकेदार को लगाना होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर सहा–कुलसचिव (भंडार)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)

Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र. 13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

परिशिष्ट – I

पूर्व योग्यता जांच सूची

सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्यतः निम्न क्रमानुसार प्रस्तुत किये जाय –

क्र.	विवरण	हां	नहीं	पृ.क्र.
1.	PAN			
2.	फर्म/कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र			
3.	सालवेन्सी प्रमाण पत्र (न्यूनतम रु. 10 लाख)			
4.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन			
5.	भविष्य निधि प्रमाण–पत्र कोड सहित			
6.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)			
7.	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष रहने की सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक।			
8.	पिछले तीन वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतियॉं।			
9.	पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम माह तक ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति संलग्न करें।			
10.	वर्कमेन कम्पनसेशन पालिसी की छायाप्रति।			
11.	अमानत हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम से देय हो संलग्न करें।			
12.	रू. 500.00 का बैंक ड्राफ्ट (यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो)।			
13.	निविदाकर्ता को किसी शासकीय/अर्धशासकीय अथवा पंजीकृत राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 03 वर्ष तक साफ–सफाई कर्मी प्रदाय करने का अनुभव जबकि प्रत्येक कार्य की निविदा राशि न्यूनतम रू. 15 लाख की हो, अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।(अनुभव दस्तावेज संलग्न करें)			
14.	भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक हेतु जारी नवीनतम परिपत्र/पत्र आदेश की छायाप्रति			

टीपः– निविदा के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियॉं निविदाकर्ता द्वारा स्व–सत्यापित होना चाहिये। बिना सत्यापन दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगें।

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र.13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

परिशिष्ट – II

स्वच्छता व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र
[Technical Bid] (तकनीकी बोली)

प्रति,
कुलसचिव,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

महोदय,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था हेतु बुलाई गई निविदा ....समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित साफ–सफाई तथा स्वच्छता ठेके की समस्त शर्तों का पालन करते हुए, साफ–सफाई एवं स्वच्छता ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू...... ....का बैंक ड्राफ्ट क्रमॉक .... दिनॉक .... जो .... बैंक का है तथा जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को देय हैं, संलग्न कर रहा हूँ।

उक्त संदर्भ में मेरे/हमारी फर्म संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

01.	(a) फर्म/एजेन्सी का नाम : (b) फर्म/एजेंसी के मालिक/पार्टनर के नाम : (c) पत्राचार का पता फोन नं. मो. नं. E-mail (d) स्थायी पता फोन नं. मो. नं. E-mail	:– :– :– :– :– :– :– :–	....
02.	पंजीयन क्र0		....
03.	यदि कोई पार्टनर हो, तो उसका नाम एवं पता। यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो पंजीयन प्रमाण पत्र एवं भागिता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाये। यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो भागिता पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाय।	:–	....

04. पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान के नाम–पते एवं परफॉरमेंन्स रिपोर्ट दें।
यदि आवश्यक हो तो (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)

क्र.	संस्था/कार्यालय का नाम एवं पता जहॉ सेवायें दी हों	करार की अवधि	करार अवधि के दौरान प्राप्त मूल्य (एक वर्ष में प्राप्त राशि)	करार अवधि के लिए नियोजित व्यक्तियों/ श्रमिकों की संख्या कुल = (पुरूष+ महिलायें)

05. वर्तमान में फर्म/एजेंसी में सफाई कार्यो/हाऊस कीपिंग हेतु कार्यरत/नियोजित कर्मियों/ अधिकारियों/सुपरवाईजरों की संख्या
अधिकारी : –
सुपरवाईजर : –
कर्मियों : –

06. वर्तमान में जहॉ कार्य चल रहा हो, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश की छाया प्रति संलग्न करें)। :– ....
....

07. संबंधित संस्था में स्वच्छता ठेके हेतु लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)। :– ....
....
....

08. भविष्य निधि कोड नं. (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)। :– ....
....
....

09. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कमांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)। :– ....
....

10. पैन नंबर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :– ....

मैं वचन देता हूॅ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रदान की गई जानकारी असत्य पायी जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय ठेका निरस्त करने तथा मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित/निर्णीत दंड राशि जमा करने के लिये सहमत हूॅ।

दिनॉक :–

आवेदक/फर्म का नाम एवं पता सील सहित

टेलीफोन नंबर– ....

मोबाइल नंबर– ....

ई–मेल एड्रेस– ....

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र.13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

परिशिष्ट – III

पारिश्रमिक दर अनुसूची

[Financial Bid]

महोदय,

01. आपके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था संबंधी निविदा क्रमॉक .... बिलासपुर दिनॉक .... के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा प्रसारित किया गया है। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दरें सभी प्रकार के शुल्क सहित हैं।
02. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि रु. 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट क्रमॉक .... दिनॉक .... बैंक के माध्यम से जमा किया गया है, जो इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
03. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दर भरा जा रहा है :–

क्र.	**स्वच्छता कार्य में नियोजित कर्मी के स्तर**	**दर प्रति व्यक्ति प्रति माह रू. में**
01.	हाउस कीपर/सफाई कर्मी	न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति प्रति माह (रू.) – EPF प्रति माह (रू.) – ESI प्रति माह (रू.) – कुल पारिश्रमिक प्रति माह (रू.) –
02.	सुपरवाईजर	न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति प्रति माह (रू.) – EPF प्रति माह (रू.) – ESI प्रति माह (रू.) – कुल पारिश्रमिक प्रति माह (रू.) –
03.	स्वच्छता अधिकारी	न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति प्रति माह (रू.) – EPF प्रति माह (रू.) – ESI प्रति माह (रू.) – कुल पारिश्रमिक प्रति माह (रू.) –

04	माली	न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति व्यक्ति प्रति माह (रू.) – EPF प्रति माह (रू.) – ESI प्रति माह (रू.) – कुल पारिश्रमिक प्रति माह (रू.) –
	सेवा शुल्क प्रतिमाह – अन्य कोई कर/शुल्क यदि हो तो –	

EPF – 13.61% , ESI – 4.75% (As per Govt. of India rule applicable from time to time)

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है, जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा बनाये गये Labour Laws & Rules के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं के पालन सहित है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम ....

पता ....

....

....

फोन नं. ....

ई–मेल एड्रेस ....

फर्म का सील/स्टाम्प ....

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र.13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

साफ–सफाई सामग्रियों की दरें

परिशिष्ट – IV

[Financial Bid]

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	अनुमानित लागत प्रतिमाह
1.	फूल झाड़ू	प्रति नग		
2.	जाला झाड़ू	प्रति नग		
3.	खराटा झाड़ू	प्रति नग		
4.	फिनाईल	प्रति लीटर		
5.	इण्डिका	प्रति लीटर		
6.	एसिड	प्रति लीटर		
7.	वाईपर – बड़ा	प्रति नग		
8.	टायलेट ब्रश	प्रति नग		
9.	वाशिंग ब्रश	प्रति नग		
10.	पोंछा – बड़ा – 10 मी. कपड़े का	प्रति नग		
11.	पोंछा – छोटा	प्रति नग		
12.	नेफथलिन गोली	प्रति किलो		
13.	Washing Powder	प्रति किलो		
14.	प्लास्टिक बाल्टी – 12 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग		
15.	प्लास्टिक मग – 1 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग		
16.	प्लास्टिक डस्टबीन – 60 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग		
17.	प्लास्टिक डस्टबीन – 5 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग		
18.	प्लास्टिक डस्टबीन – 40 ली. सेलो/पूजा	प्रति नग		
19.	सुपली	प्रति नग		
20.	फावड़ा	प्रति नग		
21.	तार – चोक खोलने हेतु	प्रति फीट		
22.	बांस	प्रति नग		
23.	हार्पिक – 500 मिली	प्रति नग		
24.	कोलीन	प्रति नग		
25.	हीट लिक्विड/हीट स्प्रे	प्रति नग		
26.	साबुन लाईफबाय – 100 ग्राम	प्रति नग		
27.	ब्लीचिंग पाउडर	प्रति किलो		
28.	बेगान स्प्रे	प्रति नग		
29.	रुम फ्रेशनर	प्रति नग		
30	अन्य कोई सामग्री	प्रति नग		
	कुल लागत			

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गई सफाई सामग्रियों की दरें सभी प्रकार के देय टैक्स सहित है तथा उपरोक्त अनुमानित लागत हेतु मेरे द्वारा विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन/भ्रमण किया गया है तथा मेरे द्वारा परिसर में सफाई आवश्यकताओं के आंकलन के आधार पर प्रस्तुत है।

नोटः– सफाई सामग्रियों के स्तर का परीक्षण समय–समय पर सक्षम अधिकारियों/अधिकृत समितियों द्वारा किया जायेगा। अतः उत्तम गुणवत्ता के सामग्री की दर प्रस्तुत करें।

फर्म का निर्धारण परिशिष्ट–III में अंकित दर के आधार पर होगा, परिशिष्ट–IV & V में अंकित दर के आधार पर नहीं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

फर्म का नाम :–

पता :–

फोन नं. :–

फर्म का सील/स्टाम्प

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा सूचना क्र.13/भंडार/हाउस कीपिंग/2016 **दिनांक 11.04.2016**

उपकरण से कार्य कराने की दरें

परिशिष्ट – V

[Financial Bid]

क्र.	उपकरण का नाम	उपकरण का मासिक किराया प्रति नग (रू. में)
1.	हाई प्रेशर टायलेट क्लीनर	
2.	वैक्यूम क्लीनर	
3.	आटोमैटिक फ्लोर क्लीनर	
4.	आटोमैटिक ग्रास कटर	
5.	ट्रैक्टर (डीजल सहित)	
6.	अन्य–	
	कुल लागत	

नोट– फर्म का निर्धारण परिशिष्ट–III में अंकित दर के आधार पर होगा, परिशिष्ट–IV & V में अंकित दर के आधार पर नहीं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

फर्म का नाम :–

पता :–

फोन नं. :–

फर्म का सील/स्टाम्प

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(ACentral University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinancaggv@gmail.com

निविदा क्रमांक 13/ भंडार / 2016 बिलासपुर, दिनांक 11.04.2016

हाउस कीपिंग/साफ–सफाई कार्य हेतु

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र :–

(10/- Stamp Paper with Notorised)

निविदाकर्ता कृपया घोषणा पत्र का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए नाम एवं पूर्ण पता सहित निविदाकर्ता अपना स्वयं हस्ताक्षर करें एवं इसे आवश्यक रूप से निविदा के साथ जमा करें। निविदा के साथ घोषणा पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

घोषणा पत्र

फर्म यह घोषणा करती हैं कि, विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम–शर्त का निविदाकर्ता द्वारा भली भांति पठन कर लिया है एवं समझ लिया गया है। निविदाकर्ता को वि0वि0 की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्त मान्य है एवं निविदाकर्ता/फर्म पर बंधनकारी है। निविदाकर्ता/फर्म ने वि0वि0 द्वारा निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति, वांछित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है। निविदा में, फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की काट छांट नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा वांछित दस्तावेज, राशि, सामग्री का नमूना आदि मेरे द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में, यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी, या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् यदि मेरी निविदा वि0वि0 को प्राप्त होती है या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अलावा यदि मैंने निविदा वि0वि0 को प्रेषित की है या वि0वि0 द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम –शर्त, दिशा निर्देशों का यदि मैने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी एवं वि0वि0 का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता फर्म की सील/मुद्रा, नाम एवं पूर्ण पता सहित निविदाकर्ता हस्ताक्षर करें।